न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

(रामरतन सौंकरिया, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 03 / 2022

प्रविष्टि दिनांक:– 20.06.2022

गोपाल लाल सुवालका पुत्र गंगालाल जाति कलाल निवासी कीर मोहल्ला, नगरफोर्ट, तहसील दूनी, हाल तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज.

.............निगरानीकर्ता

बनाम

1. गीता देवी पत्नि गणपत कीर जाति कीर निवासी नगरफोर्ट, तहसील दूनी हाल तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राजस्थान
2. ग्राम पंचायत नगरफोर्ट पंचायत समिति देवली जिला टोंक राजस्थान जरिये सरपंच / सचिव

...........नॉन रिवीजनर(विपक्षीगण)

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 विरूद्ध निर्णय आवासीय पट्टा सं. 164, मिसल नं. 27 / 2014–15, दिनांक 20.02.2019 ग्राम पंचायत नगरफोर्ट पंचायत समिति देवली जिला टोंक

उपस्थित: (1) श्री हंसराज धाकड़, अभिभाषक निगरानीकर्ता
(2) श्री अशोक कासलीवाल, अभिभाषक विपक्षी संख्या 1।

निर्णय दिनांक 26/9/25

संक्षेप में निगरानी का सार इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत नगरफोर्ट द्वारा नॉन रिवीजनर सं. 1 को पट्टा सं. 164, मिसल सं. 27 / 2014–15 दिनांक 20.02.2019 को जारी किया गया है, उक्त पट्टे को विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल बताते हुए निरस्त कराने हेतु रिवीजनर की ओर से यह रिवीजन पेश की गई है।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत से पट्टे संबंधित पत्रावली तलब की गई।

अभिभाषक निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 परिसीमा अधिनियम पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। न्यायहित में प्रार्थना पत्र दफा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार कर मूल निगरानी में उभयपक्ष को सुना।

अभिभाषक निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त पट्टा विलेख वास्तविक तथ्यों के विपरित होने से निरस्त किये

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

जाने योग्य है। उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा मौके की एंव कब्जे की किसी भी प्रकार की कोई जॉच नहीं की गई है। रिवीजनर, कीर मोहल्ला, नगरफोर्ट जिला टोंक का निवासी है। रिवीजनर के हक मे उसके मकान का पट्टा, ग्राम पंचायत नगरफोर्ट द्वारा राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996 की धारा 157 के तहत पुराने गृहो का विनियमितिकरण का पट्टा क्रमांक 10, मिसल सं०–48/2002–03 दिनांक 05.05.2003 को जारी किया गया था। उक्त पट्टा रिवीजनर को विधि अनुसार मौके एंव कब्जे की जॉच कर जारी किया गया था, उक्त पट्टे मे रिवीजनर के मकान की चतुर्थ सीमाऐं एंव पेमाइश दर्शित है। रिवीजनर के मकान की चतुर्थ सीमाओ मे पूर्व दिशा मे–आम रास्ता, पश्चिम दिशा मे आम रास्ता, उत्तर दिशा मे–चौथमल कीर का मकान तथा दक्षिण दिश मे फूला बेवा कूरा कीर का मकान स्थित है, जो आज भी मौके पर मौजूद है। रिवीजनर के मकान की पेमाइश पूर्व से पश्चिम 80 फिट व उत्तर से दक्षिण 31.6 फिट, कुल क्षेत्रफल 2520 वर्गफिट, जिसके 280 वर्गगज होते है। उक्त चतुर्थ सीमाओ एंव पेमाइश के मध्य ही रिवीजनर को उक्त मकान का पट्टा जारी किया गया है, जिसका रिवीजनर मालिक एवं स्वामी है।

रिवीजनर के मकान के पश्चिम दिशा मे आम रास्ता मौजूद है, उक्त रास्ता का अंकन रिवीजनर के हक मे जारी पट्टे में भी हो रखा है। उक्त रास्ते का उपयोग व उपभोग रिवीजनर व अन्य आमजन करते चले आ रहे है किन्तु उसके उपरांत भी नॉन रिवीजनर सं०1 ने उक्त रास्ते की भूमि को हडपने की नियत से गलत व झूठे तथ्य नॉन रिवीजनर सं02 के समक्ष प्रस्तुत कर उक्त रास्ते की भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत से दिनांक 20.02.2019 को जारी करवा लिया, जिसका पट्टा कमांक– 164, मिसल सं०–27/2014–15 है, उक्त पट्टा पूर्णतया फर्जी एंव बनावटी है। नॉन रिवीजनर सं02 ने उक्त पट्टा नॉन रिवीजनर सं. 1 के हक में जारी करने से पूर्व मौके एंव कब्जे की किसी भी प्रकार से कोई जॉच नहीं की है और ना ही कोइ दस्तावेज प्राप्त किये है। उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व नॉन रिवीजनर सं. 2 ने उक्त भूखण्ड के आस–पास के व्यक्तियों को भी तलब नहीं किया है, ना ही उनसे कोई साक्ष्य प्राप्त की है। उक्त भूमि पर विपक्षी सं०1 का कब्जा हो, ऐसी भी कोई रिपोर्ट तलब नहीं की है और बिना रिपोर्ट तलब किये उक्त पट्टा विधि विरुद्ध तरीके से जारी कर दिया गया।

नॉन रिवीजनर सं02 ने उक्त पट्टा रेस्पोडेण्ट सं०1 को जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के नियमो एंव प्रावधानो की भी पूर्ण पालना नही की है और ना ही रिवीजनर को इस सम्बन्ध मे कोई नोटिस प्रेषित किया गया है। नॉन रिवीजनर सं० 1 को उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व रिवीजनर सहित अन्य व्यक्तियो को कोई साक्ष्य सुनवाई का भी अवसर प्रदान नहीं किया गया है और ना ही सावर्जनिक सूचना प्रकाशित की है और ना ही आपत्ति प्राप्त की गई है, लेकिन उसके उपरांत भी बिना किसी सक्षम साक्ष्य के एक तरफा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
टोंक

कार्यवाही अमल मे लाते हुए नॉन रिवीजनर सं० 1 के हक मे रास्ते की भूमि का पट्टा जारी कर दिया गया है, जो विधि विरुद्ध है और निरस्तनीय है।

रिवीजनर के मकान के पश्चिम दिशा मे आम रास्ता है, जिसका पट्टा नॉन रिवीजनर सं०2 को किसी भी निजी व्यक्ति को जारी करने का कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है। लेकिन उसके उपरांत भी नॉन रिवीजनर सं०1 ने ग्राम पंचायत से वास्तविक स्थिति छिपाते हुए ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपच से साज कर उक्त भूमि का पट्टा प्राप्त किया है, जो निरस्तनीय है। नॉन रिवीजनर सं० 1 के हक मे जारी उक्त पट्टे मे जो सीमाये एंव पैमाइश अकित की है, वह मौके पर मौजूद भी नही है, मौके की सही एंव वास्तविक जॉच किये गय बिना नॉन रिवीजनर सं02 द्वारा गलत रूप से नॉन रिवीजनर सं० 1 के हक मे पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्तनीय है। अतः निगरानी पेश कर निवेदन हैं कि निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर नॉन रिवीजनर सं. 1 के हक में जारी उक्त पट्टा आदेश दिनांक 20.02.2019 पट्टा क्रमांक 164 मिसल सं. 27/2014–15 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

अभिभाषक नॉननिगरानीकर्ता सं. 1 ने रिवीजनर की बहस का जवाब देते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत नगरफोर्ट द्वारा नॉन रिवीजनर संख्या 1 के हक में जारी पट्टा दिनांक 20.02.2019 विधिसम्मत हैं। उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा समस्त नियमों की पालना की गई है। उक्त भूमि विपक्षी सं. 1 की स्वयं की भूमि है जिस पर विपक्षी मात्र का ही कब्जा चला आ रहा था। उक्त भूमि का पट्टा जारी करने से पूर्व विधिवत रूप में लिखित रूप में आपत्तियां मांगी गयी थी परन्तु अन्दर मियाद किसी व्यक्ति ने कोई आपत्ति पेश नहीं की थी। साथ ही पट्टा जारी किए जाने से पूर्व मौके का निरीक्षण भी किया गया था। इस प्रकार उक्त पट्टा सम्पूर्ण विधिक कार्यवाही की जाकर जारी किया गया था। विपक्षी सं. 1 को जारी पट्टा विधिविधान एवं तथ्यों के अनुकूल है एवं राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों की पालना में ही उक्त पट्टा जारी किया गया है। निगरानीकर्ता के पक्ष में जारी पट्टे में पश्चिम दिशा में आम रास्ता अंकित किए जाने मात्र से उक्त भूमि आम रास्ता सिद्ध नहीं होती है। पट्टा पत्रावली में संलग्न पटवारी रिपोर्ट में उक्त भूमि आबादी भूमि होना अंकित हैं। निगरानीकर्ता ने उक्त पट्टाशुदा भूमि के आम रास्ता होने के संबंध में कोई साक्ष्य/सबूत/दस्तावेजात पेश नहीं किए है। अतः निगरानी खारिज फरमायी जाकर विपक्षी को जारी पट्टा दिनांक 20.02.2019 यथावत रखा जावें।

हमने अभिभाषक उभयपक्ष की बहस को सुना एवं मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व पट्टा पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत नगरफोर्ट द्वारा नॉन रिवीजनर सं. 1 को पट्टा सं

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

164, मिसल सं. 27 / 2014–15 दिनांक 20.02.2019 को जारी किया गया है, उक्त पट्टे को विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल बताते हुए निरस्त कराने हेतु रिवीजनर की ओर से यह रिवीजन पेश की गई है। निगरानीकर्ता का कथन हैं कि निगरानीकर्ता को जारी पट्टे के पश्चिम दिशा में आम रास्ता मौजूद था जिसका अंकन निगरानीकर्ता को जारी पट्टा क्रमांक 10 दिनांक 05.05.2003 में भी हो रखा है। इसके बावजूद भी इसी आम रास्ते की भूमि का पट्टा नॉन रिवीजनर सं. 1 को ग्राम पंचायत नगरफोर्ट ने जारी कर दिया परन्तु अभिभाषक द्वारा पेश दोनों पट्टों की प्रतियों के अवलोकन करने से यह सिद्ध नहीं हो रहा है कि नॉन रिवीजनर सं. 1 को जारी पट्टा पश्चिम दिशा में स्थित उसी रास्ते का है।

नॉन रिवीजनर सं. 1 को जारी पट्टे से संबंधित पत्रावली से स्पष्ट हैं कि उक्त भूमि का पट्टा जारी करने से पूर्व विधिवत रूप में लिखित रूप में आपत्तियां मांगी गयी थी परन्तु अन्दर मियाद किसी व्यक्ति ने कोई आपत्ति पेश नहीं की थी। साथ ही पट्टा जारी किए जाने से पूर्व मौके का निरीक्षण भी किया गया था। इस प्रकार उक्त पट्टा सम्पूर्ण विधिक कार्यवाही की जाकर जारी किया गया था। निगरानीकर्ता के पक्ष में जारी पट्टे में पश्चिम दिशा में आम रास्ता अंकित किए जाने मात्र से उक्त भूमि आम रास्ता सिद्ध नहीं होती है। पट्टा पत्रावली में संलग्न पटवारी रिपोर्ट में उक्त भूमि आबादी भूमि होना अंकित हैं। निगरानीकर्ता ने उक्त पट्टाशुदा भूमि के आम रास्ता होने के संबंध में कोई साक्ष्य / सबूत / दस्तावेजात पेश नहीं किए है।

उक्त विवेचन के आधार पर ग्राम पंचायत नगरफोर्ट पंचायत समिति देवली जिला टोंक द्वारा नॉन रिवीजनर सं. 1 के हक में जारी किया गया पट्टा सं. 164, मिसल सं 27 / 2014–15 दिनांक 20.02.2019 पट्टा उचित प्रतीत होता हैं।

फलतः निगरानी निगरानीकर्ता खारिज की जाकर ग्राम पंचायत नगरफोर्ट पंचायत समिति देवली जिला टोंक द्वारा नॉन रिवीजनर सं. 1 के हक में जारी किया गया पट्टा सं. 164, मिसल सं. 27 / 2014–15 दिनांक 20.02.2019 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26/9/24 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(रामरतन सौंकरिया)
अति0 जिला कलेक्टर
टोंक